न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी महिपाल कुमार आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 18/2016

अपीलान्ट

1. रामेश्वरलाल पुत्र स्व0 श्री गोरधन
   उम्र-60 वर्ष, जाति माहेश्वरी
   निवासी ग्राम नाथडाऊ
   तहसील शेरगढ
   हाल निवासी जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेन्टस

1. श्रीमती सुन्दरदेवी धर्मपत्नी स्व0 श्री दुर्गाराम
2. आईदानराम पुत्र स्व0 श्री दुर्गाराम
3. गोरधनराम पुत्र स्व0 श्री दुर्गाराम
   तीनों जाति जाट निवासी गोदारा का बास,
   थोरियों की ढाणी, पाल बालाजी मन्दिर के
   सामने,पाल, तहसील व जिला जोधपुर।
4. आशाराम पुत्र श्री सोहनराम जाति माहेश्वरी
   निवासी जी-123, शास्त्रीनगर, जोधपुर
5. श्रीमती कमलादेवीधर्मपत्नी स्व0 श्री मोहनराम
6. यशपाल पुत्र स्व0श्री मोहनराम
7. सचिन पुत्र स्व0 श्री मोहनराम
8. मन्जू पुत्री स्व0 श्री मोहनराम
9. खुश्बू पुत्र स्व0 श्री मोहनराम,
   अवयस्क द्वारा उसकी प्राकृतिक संरक्षिका माता
   श्रीमती कमला देवीधर्मपत्नी स्व0 श्री मोहनराम
   जाति जाट निवासी महादेवनगर,
   पानी की टंकी के पास,पाल बालाजी रोड़,
   पाल तहसील व जिला जोधपुर।
10. सांवलराम पुत्र स्व0 श्री बिंजाराम
    जाति जाट, निवासी प्लाट संख्या 46,
    गायत्री नगर, लटियाल वाटिका के पीछे,
    पाल रोड, पाल तहसील व जिला जोधपुर।
11. श्रीमती बाउ पत्नी स्व0 श्री नाथाराम
12. सीताराम पुत्र स्व0 श्री नाथाराम
13. नरपत सिंह पुत्र स्व0 श्री नाथाराम
    सभी जाति जाट गालवा जाट,
    निवासी गांव बुनरावतापोस्ट जनाणा वाया
    खजवाना तहसील मूंडवा, जिला नागौर।
14. रतनीदेवी पुत्री श्री नाथारामपत्नी श्री रामप्रसाद
    जाति जाट फिड़ौदा, निवासी गांव फिड़ोद,
    पोस्ट फिड़ोद, तहसील व जिला नागौर
15. मुन्नी देवी पत्नी श्री जगदीश
    जाति जाट(इनाणिया), निवासी गांव खरनाल
    तहसील व जिला नागौर
16. शारदा पत्नी श्री श्रवणराम,जाति जाट
    चांगल गांव, पोस्ट डीडीया कला
    तहसील जायल जिला नागौर
17. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 683 ग्राम जोधपुर के पुनः स्थापित(Restitution) का पारित आदेश दिनांक 19.11.2014 जो तहसीलदार जोधपुर द्वारा मृतक खातेदार दुर्गाराम के वारिसान के नाम पारित किया गया।

उपस्थिति:-
1. अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री लाधूराम पूनिया उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 10 से 16 की ओर से अधिवक्ता श्री नरपत सिंह खिलेरी उपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 9 बावजूद तामील उपस्थित नहीं।
4 रेस्पोडेन्ट संख्या 17 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पर्वत सिंह भाटी उपस्थित

निर्णय

दिनांक 11.10.2018

अपीलान्ट रामेश्वरलाल पुत्र स्व0 श्री गोरधन, उम्र 60 वर्ष, जाति माहेश्वरी, निवासी नाथडाउ, तहसील शेरगढ़, हाल निवासी जोधपुर की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट श्रीमती सुन्दरदेवी धर्मपत्नी स्व0 श्री दुर्गाराम, जाति जाट निवासी गोदारा का बास, थोरियों की ढाणी, पाल बालाजी मन्दिर के सामने, पाल, तहसील व जिला जोधपुर वगैरह के विरूद्ध तहसीलदार, जोधपुर द्वारा दिनांक 19.11.2014 को स्वीकृत नामान्तरकरण 683 ग्राम जोधपुर को निरस्त कराने हेतु पेश की गयी है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 1005/740 व खसरा नम्बर 1008/740 नये खसरा नम्बर 1510/1008 कुल रकबा 30 बीघा भूमि दुर्गाराम पुत्र नैनाराम, सांवलराम, नथाराम पुत्र बिंजाराम की सामलाती खातेदारी की थी तथा दोनों खसरा नम्बर की भूमि एक ही चक के रूप में आयी हुई है, जिसमें से खातेदार दुर्गाराम, सावलराम व नाथाराम ने पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 15.05.1995 के द्वारा प्रतिफल लेकर उसमें वर्णित पड़ोस वाली 02 बीघा भूमि का बेचान अपीलार्थी को करके कब्जा सौंप दिया। उक्त भूमि खसरा नम्बर 1005/740 व 1008/740 पर प्रत्यर्थी संख्या 01 से 03 तथा 05 से 09 के पूर्वज स्व.दुर्गाराम पुंत्र नैनाराम, सांवलराम व नाथाराम पुत्र बिंजाराम को राजस्व वाद संख्या 5/88 के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.1988 के द्वारा खातेदार काश्तकार घोषित किया गया, जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 683 दिनांक 24.11.1995 को दुर्गाराम के पक्ष में दर्ज किया। जिसके विरूद्ध नगर सुधार न्यास जोधपुर ने एक अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की, जिसका निर्णय दिनांक 05.08.2000 के द्वारा अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 683 को निरस्त कर दिया, जिसके विरूद्ध उक्त खातेदार दुर्गाराम वगैरा ने एक निगरानी प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत किया, जो निर्णय दिनांक 10.04.2014 के द्वारा स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 683 दिनांक 24.11.1995 को बहाल किये जाने का आदेश दिया गया, तब उसकी पालना में तहसीलदार जोधपुर ने उसकी पुश्त पर आदेश दिनांक 19.11.2014 के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 683 पुन:स्थापन (Restitution) किये जाने

का आदेश दिया तथा उसके साथ मृतक खातेदार दुर्गाराम के स्थान पर उसके वारिसान प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दे दिया। जबकि तहसीलदार पुन: स्थापन की कार्यवाही में नामान्तरकरण की पूर्व प्रविष्टियों को यथावत रखने के अलावा अन्य कोई आदेश नहीं दे सकता है किन्तु तहसीलदार ने मृत खातेदारान के वारिसान के नाम पुर्नस्थापन कार्यवाही में दर्ज करने का गलत आदेश दे दिया है जिससे व्यथित होकर अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध बिना जांच के व प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों के विरूद्ध होने, पुर्नस्थापन आदेश एवं कार्यवाही में अपीलाधीन पुर्नस्थापन आदेश में मृतक खातेदार के वारिसान का नाम दर्ज करने का आदेश नियम विरूद्ध होने, मृतक खातेदार दुर्गाराम द्वारा बेचान की गई भूमि रकबे को खरीददारान के नाम दर्ज किये बिना बेचा हुआ रकबा भी वारिसान के नाम गलत दर्ज करने, अपीलार्थी के बेचाननामे की सूचना पटवारी हल्का को होते हुए भी अपीलार्थी के नाम से नामान्तरकरण दर्ज नहीं कर बेचानकर्ता के वारिसान के नाम से अपीलाधीन पुर्नस्थापित आदेश विधि विरूद्ध पारित करने, अपीलाधीन नामान्तरकरण पुर्नस्थापित आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी खरीददार को सुनवाई व सूचना का कोई अवसर प्रदान नहीं करने, अपीलाधीन कार्यवाही में मृतक के बेचाननामों की कोई जांच नहीं कर बाले बाले मृतक की जगह उसके वारिसान के नाम खातेदारी में दर्ज कर बहाली का आदेश पारित करने, बेचान किये गये रकबे का पुर्नस्थापित नामान्तरकरण आदेश प्रारम्भ से ही एक शून्य आदेश होने आदि आधारों पर यह अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 683 ग्राम जोधपुर के पुन:स्थापन (Restitution) आदेश दिनांक 19.11.2014 तथा अपीलार्थी को मृतक द्वारा बेचान किये गये रकबे को प्रत्यर्थी संख्या 01 से 04 के पक्ष में दर्ज करने के आदेश को निरस्त किये जाने तथा अपीलार्थी के बेचाननामा दिनांक 15.05.1995 की पालना में अपीलार्थी के नाम से बेची गयी भूमि का नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया है।

उक्त अपील न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर से स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कि जाकर सुनवाई की गयी।

अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री लाधूराम पूनिया ने अपनी बहस में अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 683 ग्राम जोधपुर के पुर्नस्थापित (Restitution) आदेश दिनांक 19.11.2014 तथा अपीलार्थी को मृतक दुर्गाराम द्वारा बेचान किये गये रकबे को प्रत्यर्थी संख्या 01 से 04 के पक्ष में दर्ज करने के आदेश को निरस्त किये जाने तथा अपीलार्थी के बेचाननामा दिनांक 15.05.1995 की पालना में अपीलार्थी के नाम से बेची गयी भूमि का नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 10 से 16 की ओर से अधिवक्ता श्री नरपतसिंह खिलेरी ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 1005/740 व खसरा नम्बर 1008/740 कुल रकबा 30 बीघा भूमि में से खातेदार दुर्गाराम, सावलराम व नाथाराम को राजस्व वाद संख्या 5/88 के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.1988 के द्वारा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 683 दिनांक 24.11.1995 को दुर्गाराम के पक्ष में दर्ज किया गया। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध नगर सुधार न्यास जोधपुर द्वारा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष अपील करने पर निर्णय

दिनांक 05.08.2000 द्वारा नामान्तरकरण संख्या 683 को निरस्त करने पर दुर्गाराम वगैरा द्वारा एक निगरानी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत करने पर निर्णय दिनांक 10.04.2014 के द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 683 को बहाल किये जाने का आदेश दिया गया। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश की पालना में तहसीलदार जोधपुर ने आदेश दिनांक 19.11.2014 द्वारा नामान्तरकरण संख्या 683 पुन:स्थापन (Restitution) किया जाकर मृतक खातेदार दुर्गाराम के स्थान पर उसके वारिसान प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज किये जाने का जो आदेश पारित गया है, वह पूर्णतया विधि सम्मत होने के कारण अपीलान्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया गया है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन एवं गहनता से अध्ययन करने के पश्चात् हम यह उल्लेख करना उचित समझते है कि यद्यपि न्यायालय के आदेश की पालना किए जाने से अपीलार्थी के अधिकार समाप्त नहीं हो जाते है। उक्त नामान्तरकरण के पश्चात् भी अपीलार्थी चाहे तो अपने पक्ष में नामान्तरकरण के लिए प्रार्थना पत्र/कार्यवाही करने हेतु उचित प्रक्रिया के तहत कार्यवाही कर सकता है, तथापि तहसीलदार का भूमिधारी होने से नैतिक दायित्व है कि वह रिकॉर्ड का संधारण व अपडेशन इस प्रकार से करे कि काश्तकारों को व्यर्थ ही वाद-विवादों में नहीं फंसना पड़े।

उक्त प्रकरण में यद्यपि किसी प्रकार के आदेश की आवश्यकता नहीं है परन्तु प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में यह निर्देश देना उपयुक्त समझते है कि तहसीलदार विचाराधीन नामान्तरकरण के साथ ही साथ प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के विषय में भी नामान्तरकरण का विधिक दृष्टि से उपयुक्त निर्णय करें तथा उक्त दोनों निर्णयों का नियमानुसार अमल दरामद भी एक साथ ही करे जिससे कि वाद की संभावनाएँ कम हो सके। यहाँ हम यह पुन: उल्लिखित करना चाहते है कि विचाराधीन नामान्तरकरण आदेश या उसके संदर्भ में प्रार्थी द्वारा विक्रय विलेख के आधार पर जिस नामान्तरकरण की मांग की गई है, दोनों ही के निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने विवेक से उचित प्रक्रिया व विधि अनुरूप किए जाएं। इनका निर्देश केवल और केवल इस सीमा तक पालनीय होगे कि यदि विधि द्वारा बाधित ना हो तो उक्त दोनों नामान्तरकरणों के विषय में अधीनस्थ न्यायालय एक ही साथ भिन्न भिन्न आदेश के रूप में निर्णित करे। निर्णय की प्रति मय अभिलेख तहसीलदार जोधपुर को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महिपाल कुमार)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर